राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

प0क्र:-6(39) राज-6/85पार्ट 2/10 जयपुर, दिनांक:- 8.8.2005

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
राज0।

2. समस्त जिला कलेक्टर,
राज0।

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि राज्य के कई गांवों में तालाबों के भराव क्षेत्र (तालाब पेटा) में जिन लोगों को पेटा काश्त के अस्थाई अधिकार थे या भूमि उनके गैर खातेदारी के रूप में दर्ज थी, लेकिन भूमि की मिल्कियत राज्य सरकार की थी, कालान्तर में उन तालाब पेटे की भूमियों पर गैर कानूनी तरीके से उन्होंने अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली। इनमें से कुछ मामलों में, संबंधित स्थानीय निकायों या नगर पालिकाओं से मिलीभगत करके, भूमियों को राज्य सरकार को सरेण्डर कर अपने नाम संपरिवर्तन कराकर पट्टे भी जारी करवा लिये जिसके कारण से तालाबों के भराव क्षेत्रों में बाधा उत्पन्न होकर पानी की आवक बंद हो गई। इस प्रकार के प्रकरण जयपुर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, आदि जिलों में ध्यान में आये है। राज्य के अन्य भागों में भी ऐसे प्रकरण हो सकते है। यह कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व (तालाब तले की भूमियां कृषि हेतु आवंटन) नियम 1961 के विरूद्ध है तथा माननीय उच्च न्यायालय के डी0बी0रिट संख्या 1352/02 दि0 29.4.03 हरिदास बनाम स्टेट आफ राजस्थान में दिए गये निर्णय के विरूद्ध है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि ऐसी अनियमिततायें/गैर कानूनी संपरिवर्तन की कार्यवाहियों को तुरन्त प्रभाव से रोका जावे तथा इस प्रकार की अनियमिततायें/गैर कानूनी संपरिवर्तन यदि पूर्व में की गयी हो तो उसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जावें तथा अनाधिकृत निर्माण हटाया जावें। ऐसी अनियमितताओं में लिप्त दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध सेवा नियमों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावें।

शासन उप सचिव